न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–78/2014–15

जवाहर सिंह वगैरह बनाम अशर्फी लाल उर्फ अशर्फी लाल यादव

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

19/6/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 23/2014–15 में दिनांक 22.12.2014 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष :

1. जवाहर सिंह, पिता स्व0 पुनाई राय

2. नसीब लाल सिंह, पिता स्व0 पुनाई राय, दोनों का पता–ग्राम–डोमनचक, थाना–गोपालपुर, जिला–पटना

द्वितीय पक्ष :

अशर्फी लाल उर्फ अशर्फी लाल यादव, पिता स्व0 पुनाई राय, ग्राम–डोमनचक, थाना–गोपालपुर, जिला–पटना।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
सम्पचलक	पिपरा	105	16	17	13 कठ्ठा

प्रथम पक्ष का कथन है कि

1. प्रश्नगत खाता, खेसरा का 19डी0 (6 कठ्ठा) भूखण्ड उन्हें दिनांक 05.04.2011 के खानगी बंटवारा में प्राप्त हुआ था।

2. आवेदक जवाहर सिंह के द्वारा अपने हिस्से के भूखण्ड को दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, सम्पतचक को आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{130}{1}$ वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, सम्पतचक के द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। उक्त दाखिल खारिज वाद में विपक्षी भी उपस्थित हुए। अंचलाधिकारी, सम्पतचक के द्वारा सुनवाई के पश्चात आवेदक के नाम से प्रश्नगत खाता, खेसरा के 06(छः) कठ्ठा भूखण्ड का दाखिल खारिज आवेदक के नाम से करने की स्वीकृति दी गयी। आवेदक के नाम से लगान रसीद निर्गत की गयी।

3. विपक्षी अशर्फी लाल के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{130}{1}$ वर्ष 2014–15 में दिनांक 07.07.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार

उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 23/2014–15 दायर किया गया।

4. भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में विपक्षी अशर्फी लाल के द्वारा यह तर्क दिया गया कि अन्य भूखण्ड के साथ विवादित भूखण्ड उन्हें वर्ष 1972 में आपसी बंटवारा में मिला था। विवादित भूखण्ड विपक्षी के द्वारा दिनांक 21.07.1988 के दान पत्र से अपनी पत्नी कमला देवी को दान में दे दी गयी। कमला देवी के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 105 वर्ष 1989 के द्वारा जमाबंदी कायम की गयी। कमला देवी की मृत्यु के उपरान्त दाखिल खारिज वाद सं0 2663/2011–12 के तहत प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी विपक्षी के नाम से कायम की गयी।

5. विपक्षी के द्वारा यह भी कहा गया कि इस वाद के आवेदकगण के विरूद्ध उनके द्वारा टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 513/2002 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 30.04.2014 को एक पक्षीय डिक्री हो गयी तथा अन्य भूखण्ड के साथ विवादित खेसरा सं0 17 का 17 कट्ठा उन्हें हिस्सा में मिला।

6. विपक्षी का यह दावा झूठा है कि उन्हें वर्ष 1972 में बंटवारा में अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड हिस्से में मिला था, क्योंकि एस0टी0 वाद सं0 347/91 में विपक्षी के द्वारा स्वंय यह बयान दिया गया था कि तीन भाईयों के बीच बंटवारा वर्ष 1949 में हुआ था।

7. विपक्षी को दिनांक 21.07.1988 के दान पत्र से अपनी पत्नी को विवादित भूखण्ड लिखने का कोई अधिकार नहीं था।

8. भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा तथ्यों पर ध्यान दिये बिना अपील स्वीकृत करते हुए अंचलाधिकारी, सम्पतचक के आदेश को निरस्त कर दिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। दाखिल खारिज अपील वाद सं0 23/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 22.12.2014 को पारित आदेश रद्द करने योग्य है।

आवेदकगण के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) एस0टी0 केस नं0 347/91 में अशर्फी लाल सिंह का ब्यान

(2) विविध वाद सं0 02/2012 को याचिका की प्रति

(3) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{130}{1}$ वर्ष 2014–15 का आदेश

(4) जवाहर सिंह के नाम से निर्गत वर्ष 2014–15 की लगान रसीद

द्वितीय पक्ष का कथन है कि

(1) पिता पुनाई राय ने जीवन काल में ही वर्ष 1972 में पारिवारिक बंटवारा में उन्हें प्रश्नगत खाता, खेसरा का 18 कट्ठा हिस्सा में मिला था। उसी समय से प्रश्नगत खाता, खेसरा रकवा 18 कट्ठा उनके शांतिपूर्ण दखल में है। बंटवारा के पश्चात सभी भाई अपने अपने हिस्से पर दखल में है।

(2) विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत खेसरा में से 13 कट्ठा जमीन दिनांक

21.07.1988 के निबंधित दान पत्र से अपनी पत्नी कमला देवी को लिख दी गयी। कमला देवी के नाम से जमाबंदी सं0 106 कायम होकर लगान रसीद निर्गत की जाने लगी।

(3) कमला देवी की मृत्यु के उपरान्त उनके वैध उतराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 2663/1 वर्ष 2011–12 के द्वारा कमला देवी के नाम से कायम जमाबंदी सं0 106 विपक्षी के नाम पर स्थानान्तरित की गयी।

(4) आवेदक के द्वारा दिनांक 05.04.2011 के फर्जी बंटवारानामा के आधार पर 6 कठ्ठा का दाखिल खारिज अपने नाम से करवा लिया गया। निबंधित डीड के आधार पर प्राप्त भूमि का हस्तातरण केवल उनके वैद्य उतराधिकारी को ही हो सकता है।

(5) प्रश्नगत भूखण्ड वर्ष 1972 से विपक्षी के शांतिपूर्ण दखल में है तथा बहुत पहले से उसकी जमाबंदी विपक्षी के नाम से कायम है। उक्त जमाबंदी को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी।

(6) अंचलाधिकारी, सम्पचक का आदेश त्रुटिपूर्ण एवं अवैध था, जिसके विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में अपील सं0 23/2014–15 दायर की गयी। दाखिल खारिज अपील वाद सं0 23/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 22.12.2014 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है तथा पुनरीक्षण आवेदन रद्द करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है, तथा उनके बीच हिस्सा को लेकर विवाद है। हिस्से के विवाद का समाधान सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही किया जा सकता है।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर, टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 513/2002 दायर किया गया था, जिसमें एक पक्षीय सुनवाई कर डिक्री निर्गत है। स्वत्व बंटवारा वाद सं0 513/2002 में पारित डिक्री के विरूद्ध विविध वाद सं0 02/2012 दायर किया गया है, जो अभी लंबित है। इस वाद के आवेदक के द्वारा इस वाद के विपक्षी एवं अन्य के विरूद्ध स्वत्व वाद सं0 1750/2014 दायर किया गया है, जो अभी लंबित है।

(3) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{130}{1}$ वर्ष 2014–15 में राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर इस वाद के विपक्षी अशर्फी लाल का दखल कब्जा बताया गया है। दाखिल खारिज के लिए दखल–कब्जा सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। अंचलाधिकारी, सम्पतचक के द्वारा दखल–कब्जा के बिन्दु पर ध्यान दिए बिना दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी, जो उचित नहीं है।

राजस्व कर्मचारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन में दिनांक 05.04.2011 के

बंटवारानामा का जिक्र नहीं किया गया है। उनके द्वारा अपने विवेक से तीन भाईयों के बीच छःछः कठ्ठा के हिस्सा की घोषणा कर दी गयी, जो पुरी तरह नियम विरूद्ध है। हिस्से की घोषणा सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही हो सकता है।

इस प्रकार दाखिल खारिज खारिज वाद सं0 $\frac{130}{1}$ वर्ष 2014—15 में अंचलाधिकारी, सम्पतचक के द्वारा दिनांक 07.07.2014 को पारित आदेश दोषपूर्ण है, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 23/2014—15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 22.12.2014 को पारित आदेश उचित एवं विधि सम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदकगण अपने हिस्से के संबंध में सक्षम व्यवहार न्यायालय से न्याय निर्णय प्राप्त करें।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/6/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

19/6/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना